संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–2/2018/843-0 भोपाल, दिनांक 21.08.2018

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक डी–1052/1784/96/25 दिनांक 19.12.1996 के तारतम्य में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवारों हेतु मध्यप्रदेश रोजगार तथा प्रशिक्षण परिषद (मेपसैट) द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 49 प्रयोगशाला तकनीशियन को प्रशिक्षण दिये जाने के आदेश संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा दिनांक 27.01.1997 को जारी किये गये थे।

प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को विशेष भर्ती अभियान के तहत् नियुक्ति प्रदान करने हेतु संचालनालय के आदेश दिनांक 28.3.1998 एवं 03.09.1998 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालको को निर्देशित किया गया था। संभाग/जिलास्तर पर नियुक्ति से शेष रहे प्रशिक्षित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश संचालनालय स्तर से जारी किये जाने का निर्णय लेते हुए संचालनालय के आदेश दिनांक 18.5.1999 द्वारा 15 लेब टेक्नीशियन के नियमित नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14.01.2000 के माध्यम से दिनांक 01.01.2000 से 31.12.2000 तक तथा पुनः परिपत्र दिनांक 31.3.2001 द्वारा सभी प्रकार की नियुक्तियो पर प्रतिबंध लगाने के कारण तथा प्रशिक्षित उम्मीदवारों के आवेदन न होने के कारण 12 उम्मीदवारों की नियमित नियुक्ति नही की जा सकी। मंत्री परिषद के निर्णय के पश्चात् संचालनालय आदेश दिनांक 19.4.2002 द्वारा 12 अभ्यार्थियो को लेब टेक्नीशियन के पद पर संविदा आधार पर निश्चित वेतन रू0 4000+डी.ए. +400/– (मकान भाडा भत्ता) पर तीन वर्ष के लिये आदेश जारी किये गये। इस आदेश में श्री इन्द्र कुमार झारिया का नाम सरल क्रमांक 2 पर अंकित हैं।

जिलो में लेब टेक्नीशियन के बैकलाग के पद रिक्त होने पर नियुक्ति प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार आरक्षण रोस्टर अनुसार पदों की पूर्ती उपरोक्त संविदा कर्मियों से करने के निर्देश संचालनालय के आदेश दिनांक 02.07.2005 द्वारा जारी किये गये। इस आदेश में श्री इन्द्र कुमार झारिया का नाम सरल क्रमांक 2 पर अंकित हैं।

श्री इन्द्र कुमार झारिया का नियमितिकरण न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 13980/09, नियमितिकरण हेतु दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 15.12.2010 को निर्णय पारित किया गया। तदोपरांत श्री झारिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अवमानना प्रकरण क्र. 1893/2011 दायर की गई।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2010 के परिपालन में संचालनालय स्तर से जारी स्पीकिंग आदेश क्रमांक 2/अवि/सेल–2/2011/1231 एल दिनांक 24.12.2011 द्वारा मेपसेट से प्रशिक्षित श्री इन्द्र कुमार झारिया एवं श्री राजेश मेहरा को परीक्षणोपरांत बैकलाग पदो की पूर्ति के तहत् लेब टेक्नीशियन के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट अंकित है कि **यह आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगा।**

श्री इन्द्र कुमार झारिया, लेब टेक्नीशियन द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 576/2016 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2016, को निर्णय पारित कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने के आदेश पारित किये गये।

निरंतर 2

श्री इन्द्र कुमार झारिया लेब टेक्नीशियन द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सह प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों, जिन्हें संचालनालय के आदेश दिनांक 18.05.1999 द्वारा बैकलाग के तहत् नियमित नियुक्ति दी गई थी, उन्ही की भांति संविदा नियुक्ति दिनांक 21.05.2002 से नियमित नियुक्ति मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राप्त अभ्यावेदन के अनुक्रम में प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। वर्ष 1997 में आवेदक का प्रशिक्षण मेपसेट द्वारा आयोजित किया गया था तथा संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश दिनांक 27.01.1997 के माध्यम से केवल जिला चिकित्सालय में प्रयोगशाला तकनीशियन को प्रशिक्षण दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के बिन्दु क्रमांक 02 में स्पष्ट अंकित है कि – **सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले उम्मीदवार को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पात्रता अथवा गारंटी नही है।** किंतु इसके उपरांत भी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों को विभाग द्वारा नियमित नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। वर्ष 2002 में भी मंत्री परिषद के अनुमोदन उपरांत इन्हें संविदा नियुक्ति दी गई थी। विभाग अंतर्गत नियुक्त किये गये संविदा चिकित्सकों को भी नियमितिकरण आदेश जारी होने के दिनांक से ही नियमितिकरण का लाभ दिया गया है। अतः श्री इन्द्र कुमार झारिया, लेब टेक्नीशियन को पिछली संविदा नियुक्ति दिनांक 21.05.2002 से नियमित नियुक्ति का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः श्री इन्द्र कुमार झारिया, लेब टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

16/8/18

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–2/2018/844-0 भोपाल, दिनांक 21.08.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक (लीगल) स्थानीय कार्यालय, की और **याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 576/2016 तथा अवमानना प्रकरण क्रमांक 2064/2016 श्री इन्द्र कुमार झारिया, विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में नियुक्त प्रभारी अधिकारी के द्वारा माननीय न्यायालय में जबावदावा प्रस्तुत कराये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।**
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर की और प्रेषित कर लेख है कि संबंधित प्रकरण में सम्पर्क अधिकारी को वादोत्तर प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मण्डला की और प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री इन्द्र कुमार झारिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत अवमानना प्रकरण क्रमांक 2064/2016 में जबावदावा प्रस्तुत किये जाने एवं जारी आदेश की प्रविष्ठि संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित कर्मचारी **श्री इन्द्र कुमार झारिया, लेब टेक्नीशियन जिला चिकित्सालय मण्डला द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मण्डला की और सूचनार्थ प्रेषित।**
7. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की और विभागीय वेव–साईट पर अपलोड हेतु।
8. आदेश नस्ति।

16/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.